

सेवा में,

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज।

महापय,

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज के आदेश संख्या-01/2014 दिनांक 23.01.2014 के अनुरूप विधिक सेवा क्लिनिक, लोहिया भवन, मिर्जाचौकी, साहेबगंज में प्रतिनियुक्त रीटेनर अधिवक्ता श्री नीरज रामेश्वरम की ओर से पारिश्रमिक भुगतान हेतु आवेदन एवं उपस्थिति पंजी की छायाप्रति दाखिल किया गया है। आवेदन एवं उपस्थिति पंजी की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। विधिक सेवा क्लिनिक, लोहिया भवन, मिर्जाचौकी, साहेबगंज में प्रतिनियुक्त उपरोक्त पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति झालसा के पत्रांक-2206 दिनांक 21.01.2014 के तहत विधिक सेवा क्लिनिक, लोहिया भवन, मिर्जाचौकी, साहेबगंज में किया गया है। इनके द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में कार्यालय में दी गई सूचना एवं उपस्थिति पंजी के अनुसार उनकी उपस्थिति इस प्रकार है:-

माह	श्री नीरज रामेश्वरम	माह	श्री नीरज रामेश्वरम
जुलाई,2015	02	मार्च,2016	01
अगस्त,2015	02	अप्रैल,2016	02
सितम्बर,2015	02	मई,2016	02
अक्टूबर,2015	01	जून,2016	01
नवम्बर,2015	01	जुलाई,2016	02
दिसम्बर,2015	02	अगस्त,2016	02
जनवरी,2016	01	सितम्बर,2016	02
फरवरी,2016	02	अक्टूबर,2016	01

उपरोक्त उपस्थिति के आधार पर पैनल अधिवक्ता श्री नीरज रामेश्वरम को प्रति कार्य दिवस 500/- रुपये की दर से 26 x 500 मो 13000/- (तेरह हजार) रुपये होता है। इस विषय में दर्शायी गई राशि का पूर्व में भुगतान नहीं किया गया है। **माह जून 2015 तक इनके भुगतान किया जा चुका है।**

अतः यदि श्रीमान् प्रधान जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदन किया जाता है तो उक्त राशि का भुगतान नालसा फंड में शेष बचे राशि 247730/- में से चेक द्वारा उपरोक्त पैनल अधिवक्ता श्री नीरज रामेश्वरम को भुगतान हेतु श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष महोदय से स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है।

समर्पित

सहायक

सेवा में,

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज।


महाशय,

सहायक, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज एवं विधिक सेवा क्लिनिक, लोहिया भवन, मिर्जाचौकी, साहेबगंज में प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता श्री नीरज रामेश्वरम का पारिश्रमिक भुगतान हेतु दाखिल आवेदन का अवलोकन किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज के आदेश संख्या-01/2014 दिनांक 23.01.2014 के अनुरूप विधिक सेवा क्लिनिक, लोहिया भवन, मिर्जाचौकी, साहेबगंज में प्रतिनियुक्त पैनल अधिवक्ता श्री नीरज रामेश्वरम की ओर से पारिश्रमिक भुगतान हेतु आवेदन एवं उपस्थिति पंजी की छायाप्रति दाखिल किया गया है। आवेदन एवं उपस्थिति पंजी की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। विधिक सेवा क्लिनिक, लोहिया भवन, मिर्जाचौकी, साहेबगंज में प्रतिनियुक्त उपरोक्त पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति झालसा के पत्रांक- 2206 दिनांक 21.01.2014 के तहत विधिक सेवा क्लिनिक, लोहिया भवन, मिर्जाचौकी, साहेबगंज में किया गया है। उपस्थिति तथा दाखिल अनुमति आवेदन के आधार पर पैनल अधिवक्ता श्री नीरज रामेश्वरम को प्रति कार्य दिवस 500/- रुपये की दर से 26 x 500 मो 13000/- (तेरह हजार) रुपये होता है।

अतः यदि श्रीमान् द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो रीटेनर अधिवक्ता श्री नीरज रामेश्वरम को मो 13000/- (तेरह हजार) रुपये का भुगतान नालसा फंड में शेष बचे राशि से चेक द्वारा भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी जा सकती है।

समर्पित


04/07/17


20-6-17
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
साहेबगंज

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज।

फंट ऑफिस, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज में प्रतिनियुक्त रिटेनर अधिवक्ता श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्री मुरलीधर साह के द्वारा दिये गये आवेदनों के आलोक में उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया जाया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव की उपस्थिति दिसंबर 16 से फरवरी 2017 तक सामान्य रही है। श्री मुरलीधर की उपस्थिति माह दिसंबर, 2016 में सामान्य रही है जबकि माह जनवरी 2017 में 23 दिन एवं माह फरवरी 2017 में 24 दिन कार्य पर रहे हैं। भुगतान राशि का ब्यौरा इसप्रकार है:-

नाम	दिसंबर -16	जनवरी -17	फरवरी- 17	कूल
श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव	5000.00	5000.00	5000.00	15000
श्री मुरलीधर साह	5000.00	3709.00	4285.00	12994

समर्पित विपत्र का पूर्व में भुगतान नहीं किया गया है। वर्तमान में नालसा फंड में 300974/- रूपया शेष है। यदि अनुमोदन हो तो उक्त राशि का भुगतान झालसा से प्राप्त निर्देशानुसार नालसा फंड से चेक के माध्यम से किये जाने हेतु श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष महोदय से स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है।

समर्पित

सहायक

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज।

फंट ऑफिस, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज में प्रतिनियुक्त रिटेनर अधिवक्ता श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्री मुरलीधर साह के द्वारा दिये गये आवेदनों एवं कार्यालय सहायक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया जा सकता है। दोनों रिटेनर अधिवक्ता के द्वारा किया गया कार्य संतोषप्रद है। यदि श्रीमान् यथोपरि वर्णित प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है तो दोनों रिटेनर अधिवक्ताओं को संगणित राशि का भुगतान झालसा से प्राप्त निर्देशानुसार नालसा फंड से चेक के माध्यम से किया जा सकता है।

पुस
१
११/६-१७

समर्पित

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार
साहेबगंज

Secretary, DLSA

The application of Retainer Advocates Sri Murlidhar Sah & Sri Ramesh Kumar Srivastava may kindly be perused. They are deputed in Front Office vide letter no. 481 dated 08.05.13 of JHALSA, Ranchi. The attendance register was perused by me. On perusal, it appears that Sri Murlidhar Sah is absent on 31.07.17 in July-17, On 01.08.17 & 02.08.17 and late attendance on 10.08.17 in August-17, 08.09.17 & 23.09.17 in September-17 and on 06.10.17, 20.10.17 & on 24.10.17 in October-17. Sri Ramesh Kumar Srivastava has marked late attendance on 27.07.17 & 28.07.17 in July-17, late attendance on 01.08.17, 03.08.17, 05.08.17, 10.08.17, 17.08.17, 22.08.17, 23.08.17, 24.08.17, 28.08.17 & 30.08.17 in August-17, late attendance on 12.09.17, 18.09.17, 21.09.17, 23.09.17 & 26.09.17 in September-17 and late attendance on 24.10.17 & 25.10.17 in October-17.

In this way as per attendance their payment is as follows :-

Name	July- 2017	August- 2017	September -2017	October - 2017	Total (RS.)
Sri Murlidhar Sah	4838/-	4514/-	4666/-	4514/-	18,532/-
Sri Ramesh Kumar Srivastava	4676/-	3380/-	4165/-	4676/-	16,897/-

The payment of this bill has not been made as yet. Presently Rs. 4,43,207/- is in balance in NALSA Fund. If approved, permission may kindly be obtained from PDJ-cum-Chairman, DLSA, Sahibganj for payment through cheque from NALSA Fund as per direction of JHALSA, Ranchi.

Satya Prakash
Assistant
12/12/17

Chairman,
DLSA, Sahibganj.

Note of the Assistant, DLSA along with the application of both Retainer Lawyer of Front Office may kindly be perused. As per letter no. 2066 dated 08.01.14 of JHALSA, Honorarium for one month for Retainer Lawyer is Rs. 5000/- (Five thousand). The fraction of payment (in round figure) for one day for the month of July, August and October is Rs. 162/- (One hundred sixty two only) and that for the month of September is Rs. 167/- (One hundred sixty seven only). On perusal, it appears that their payment becomes as follows as per their attendance:-

For Sri Murlidhar Sah, payment of one day for July-17, three days for August-17, two days for September-17 and three days for October-17 may be deducted from Honorarium for one month. Therefore, for the month of July-17 payment of Rs. 162/-, for August-17 payment of Rs. 486/-, for the month of September-17 payment of Rs. 334/- and for October-17 payment of Rs. 486/- may be deducted. For Sri Ramesh Kumar Srivastava, payment of two days for July-17, payment of ten days for August-17, payment of five days for September-17 and payment of two days for October-17 may be deducted from fixed monthly payment of Rs. 5000/-. Therefore, for the month of July-17 payment of Rs. 324/-, for August-17 payment of Rs. 1620/-, for September-17 payment of Rs. 835/- and for October-17 payment of Rs. 324/- may be deducted. If approved, payment of Rs. 18,532/- may be made to Sri Murlidhar Sah and Rs. 16,897/- to Sri Ramesh Kumar Srivastava from NALSA Fund through cheque.

Arund
Secretary
DLSA, Sahibganj.
12/12/17

Yes
Arund
12/12/17

12/12/17

सेवा में,

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज।

महाषय,

फ्रंट ऑफिस, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज में प्रतिनियुक्त रिटेनर अधिवक्ता श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्री मुरलीधर साह की नियुक्ति झालसा के पत्रांक- 481 दिनांक 8.5.13 के तहत फ्रंट ऑफिस, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज में किया गया है। इन दोनों के द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में उपस्थिति पंजी का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनों ही रिटेनर अधिवक्ता की उपस्थिति माह मार्च, 2017 से माह मई 2017 तक सामान्य रही है जबकि दोनों ही अधिवक्ता माह जून 2017 में एक दिन अनुपस्थित रहे हैं। इस प्रकार इन दोनों रिटेनर अधिवक्ता का पाँच हजार रुपये प्रति माह की दर से निम्नांकित भुगतान बनता है।

नाम	मार्च, 17	अप्रैल, 17	मई, 17	जून, 17	कुल(रु0)
श्री मुरलीधर साह	5000	5000	5000	4833	19833
श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव	5000	5000	5000	4833	19833

नालसा फंड में मो0234730/-रुपये शेष है। *विषय को मात्र का पूरा में मुगाना नहीं किया गया है।*
अतः यदि श्रीमान् प्रधान जिला न्यायाधीश -सह- अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदन किया जाता है तो उक्त राशि का भुगतान झालसा से प्राप्त निर्देशानुसार चेक के माध्यम से नालसा फंड से किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है।

समर्पित
[Signature]
सहायक

सेवा में,

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज।

महाषय,

सहायक, जिला विधिक यस्सेवा प्राधिकार एवं फ्रंट ऑफिस, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज में प्रतिनियुक्त रिटेनर अधिवक्ता श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव एवं श्री मुरलीधर साह की नियुक्ति झालसा के पत्रांक- 481 दिनांक 8.5.13 के तहत फ्रंट ऑफिस, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज में किया गया है। इन दोनों के द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में उपस्थिति पंजी का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनों ही रिटेनर अधिवक्ता की उपस्थिति माह मार्च, 2017 से माह मई 2017 तक सामान्य रही है जबकि दोनों ही अधिवक्ता माह जून 2017 में एक दिन अनुपस्थित रहे हैं। इस प्रकार इन दोनों रिटेनर अधिवक्ता का पाँच हजार रुपये प्रति माह की दर से निम्नांकित भुगतान बनता है।

नाम	मार्च, 17	अप्रैल, 17	मई, 17	जून, 17	कुल(रु0)
श्री मुरलीधर साह	5000	5000	5000	4833	19833
श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव	5000	5000	5000	4833	19833

अतः यदि श्रीमान् द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो दोनों ही रिटेनर अधिवक्ताओं को मो0 उन्नीस हजार आठ सौ तेतीस रुपये प्रत्येक को नालसा फंड से भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

4-9
19-07-17

समर्पित
[Signature]
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
साहेबगंज